महिला और बाल विकास मंत्रालय

मांग संख्या 108

महिला और बाल विकास मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	17949.85	87.46	18037.31	21100.00	93.88	21193.88	18500.00	88.39	18588.39	10286.73	95.67	10382.40
	पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	**17949.85**	**87.46**	**18037.31**	**21100.00**	**93.88**	**21193.88**	**18500.00**	**88.39**	**18588.39**	**10286.73**	**95.67**	**10382.40**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.24	23.08	23.32	2.00	26.61	28.61	2.00	26.21	28.21	3.00	28.36	31.36
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
बाल कल्याण													
2. समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)													
2.01 आईसीडीएस	2235	24.07	...	24.07	87.00	...	87.00	41.61	...	41.61	90.00	...	90.00
	3601	16045.97	...	16045.97	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	183.84	...	183.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*16253.88*	...	*16253.88*	*87.00*	...	*87.00*	*41.61*	...	*41.61*	*90.00*	...	*90.00*
2.02 विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस प्रणालियों की सुदृढ़ीकरणऔर पोषण सुधार परियोजना	2235	...	...	...	29.00	...	29.00	8.70	...	8.70	36.00	...	36.00
	3601	108.68	...	108.68	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*108.68*	...	*108.68*	*29.00*	...	*29.00*	*8.70*	...	*8.70*	*36.00*	...	*36.00*
2.03 राष्ट्रीय पोषण मिशन	2235	...	...	...	97.00	...	97.00	20.00	...	20.00	100.00	...	100.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*97.00*	...	*97.00*	*20.00*	...	*20.00*	*100.00*	...	*100.00*
जोड़- समेकित बाल विकास योजनाएं (आईसीडीएस)		*16362.56*	...	*16362.56*	*213.00*	...	*213.00*	*70.31*	...	*70.31*	*226.00*	...	*226.00*
3. यूनिसेफ को अंशदान	2235	5.55	5.49	11.04	...	3.80	3.80	...	3.80	3.80	...	5.60	5.60
4. राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)	2235	11.70	18.50	30.20	13.50	19.00	32.50	13.50	18.25	31.75	18.00	19.00	37.00
5. कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	2235	100.06	...	100.06	112.50	...	112.50	90.00	...	90.00	188.44	...	188.44
6. कामकाजी बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद बच्चों	2235	7.76	...	7.76	9.00	...	9.00	4.00	...	4.00	9.00	...	9.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
की देखभाल एवं संरक्षण की स्कीम													
7. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (सीएआरए)	2235	5.37	1.70	7.07	9.00	1.97	10.97	4.23	1.72	5.95	9.00	1.85	10.85
8. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2235	32.09	...	32.09	62.77	...	62.77	62.77	...	62.77	65.00	...	65.00
	3601	229.15	...	229.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	4.69	...	4.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*265.93*	...	*265.93*	*62.77*	...	*62.77*	*62.77*	...	*62.77*	*65.00*	...	*65.00*
9. बालिकाओं हेतु बीमा सहित सशर्त नकद हस्तांतरण स्कीम (धनलक्ष्मी)	2235	2.57	...	2.57	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
10. सबला और सक्षम													
10.01 किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)	2235	...	...	...	10.35	...	10.35	1.70	...	1.70	10.00	...	10.00
10.02 किशोरी के सर्वांगीण विकास हेतु स्कीम-सक्षम	2235	...	...	...	1.32	...	1.32	...	...	...	...	...	...
जोड़- सबला और सक्षम		...	...	...	*11.67*	...	*11.67*	*1.70*	...	*1.70*	*10.00*	...	*10.00*
11. किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)	2235	1.25	...	1.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	592.01	...	592.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	9.18	...	9.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*602.44*	...	*602.44*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. बालिका विशिष्ट जिला कार्रवाई योजना	2235	...	...	...	13.50	...	13.50	...	...	...	...	...	...
13. किशोरों के समग्र विकास की स्कीम - सक्षम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ अभियान	2235	...	...	...	90.00	...	90.00	24.50	...	24.50	97.00	...	97.00
	3601	...	...	...	...	...	...	18.50	...	18.50	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*90.00*	...	*90.00*	*45.00*	...	*45.00*	*97.00*	...	*97.00*
15. अन्य योजनाएं	2235	47.66	0.42	48.08	63.00	0.63	63.63	51.70	0.45	52.15	62.10	0.63	62.73
जोड़-बाल कल्याण		**17411.60**	**26.11**	**17437.71**	**602.94**	**25.40**	**628.34**	**343.21**	**24.22**	**367.43**	**684.54**	**27.08**	**711.62**
महिला कल्याण													
16. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	2235	0.45	...	0.45	2.70	...	2.70	...	...	...	...	...	...
17. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल	2235	12.53	...	12.53	22.50	...	22.50	8.00	...	8.00	27.00	...	27.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	*12.53*	*...*	*12.53*	*22.50*	*...*	*22.50*	*8.00*	*...*	*8.00*	*27.00*	*...*	*27.00*
18. प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता	2235	7.02	...	7.02	18.00	...	18.00	6.00	...	6.00	27.00	...	27.00
19. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	2235	47.43	21.73	69.16	42.30	23.91	66.21	42.30	21.99	64.29	45.00	23.57	68.57
20. अल्पावास गृह	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. जागरूकता सृजन कार्यक्रम	2235	0.45	...	0.45	6.30	...	6.30	...	...	...	...	...	...
22. राष्ट्रीय महिला आयोग	2235	13.00	4.85	17.85	13.50	4.95	18.45	22.50	4.85	27.35	18.00	5.15	23.15
23. राष्ट्रीय महिला कोष	2235	...	...	...	18.00	...	18.00	...	...	...	...	...	...
24. देह व्यापार की रोकथाम की व्यापक योजना (उज्ज्वला)	2235	15.98	...	15.98	14.40	...	14.40	10.90	...	10.90	18.00	...	18.00
25. प्रियदर्शिनी स्कीम	2235	9.06	...	9.06	15.00	...	15.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
26. महिलोन्मुख बजट आयोजना और लैंगिक आंकड़े	2235	0.82	...	0.82	0.90	...	0.90	1.12	...	1.12	1.80	...	1.80
27. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन													
27.01 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-सीएमबी स्कीम	2235	1.45	...	1.45	3.60	...	3.60	1.10	...	1.10	5.00	...	5.00
	3601	229.54	...	229.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	0.91	...	0.91	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*231.90*	*...*	*231.90*	*3.60*	*...*	*3.60*	*1.10*	*...*	*1.10*	*5.00*	*...*	*5.00*
27.02 महिलाओं के संरक्षण और विकास की व्यापक योजना													
27.02.01 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	2235	13.68	...	13.68	50.00	...	50.00	7.45	...	7.45	25.00	...	25.00
	3601	6.10	...	6.10	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	0.20	...	0.20	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*19.98*	*...*	*19.98*	*50.00*	*...*	*50.00*	*7.45*	*...*	*7.45*	*25.00*	*...*	*25.00*
27.02.02 साहस (स्वाधार गृह)	2235	53.83	...	53.83	75.00	...	75.00	27.00	...	27.00	50.00	...	50.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*53.83*	*...*	*53.83*	*75.00*	*...*	*75.00*	*27.00*	*...*	*27.00*	*50.00*	*...*	*50.00*
	जोड़	*53.83*	*...*	*53.83*	*75.00*	*...*	*75.00*	*27.00*	*...*	*27.00*	*50.00*	*...*	*50.00*
27.02.03 साहस (अन्य कार्यक्रम-बलात्कार पीड़ितों हेतु न्याय)	2235	...	...	...	0.90	0.01	0.91	...	...	...	...	0.01	0.01
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*0.90*	*0.01*	*0.91*	*...*	*...*	*...*	*...*	*0.01*	*0.01*
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*0.90*	*0.01*	*0.91*	*...*	*...*	*...*	*...*	*0.01*	*0.01*
27.02.04 साहस (महिलाओं की घरेलू	2235	...	...	...	1.50	...	1.50	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014 आयोजना	वास्तविक 2013-2014 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2013-2014 जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	बजट 2014-2015 आयोजना-भिन्न	बजट 2014-2015 जोड़	संशोधित 2014-2015 आयोजना	संशोधित 2014-2015 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2014-2015 जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	बजट 2015-2016 आयोजना-भिन्न	बजट 2015-2016 जोड़
हिंसा से संरक्षा अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को सहायता)													
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*1.50*	...	*1.50*	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*1.50*	...	*1.50*	...	...	...	...	...	...
27.02.05 साहस (महिला हेल्पलाइन)	2235	...	...	...	0.30	...	0.30	...	...	...	1.00	...	1.00
27.02.06 साहस (एक स्थान पर संकट समाधान केंद्र)	2235	...	...	...	1.20	...	1.20	...	...	...	2.00	...	2.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*1.20*	...	*1.20*	...	...	...	*2.00*	...	*2.00*
जोड़- महिलाओं के संरक्षण और विकास की व्यापक योजना		*73.81*	...	*73.81*	*128.90*	*0.01*	*128.91*	*34.45*	...	*34.45*	*78.00*	*0.01*	*78.01*
जोड़- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन		*305.71*	...	*305.71*	*132.50*	*0.01*	*132.51*	*35.55*	...	*35.55*	*83.00*	*0.01*	*83.01*
28. महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति	2235	0.92	...	0.92	5.00	...	5.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
29. अकेले रहने वाली महिलाओं /निस्सहाय और विधवाओं के लिए आश्रय स्थल के निर्माण हेतु सहायता	2235	...	...	...	18.00	...	18.00	...	...	...	...	...	...
30. राष्ट्रीय महिला मामले संस्थान	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-महिला कल्याण		**413.37**	**26.58**	**439.95**	**309.10**	**28.87**	**337.97**	**133.37**	**26.84**	**160.21**	**229.80**	**28.73**	**258.53**
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**17824.97**	**52.69**	**17877.66**	**912.04**	**54.27**	**966.31**	**476.58**	**51.06**	**527.64**	**914.34**	**55.81**	**970.15**
पोषाहार													
31. राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	2236	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32. अन्य योजनाएं (पोषाहार शिक्षा योजना)	2236	87.70	11.70	99.40	20.70	13.00	33.70	9.33	11.12	20.45	22.50	11.50	34.00
जोड़-पोषाहार		**87.70**	**11.70**	**99.40**	**20.70**	**13.00**	**33.70**	**9.33**	**11.12**	**20.45**	**22.50**	**11.50**	**34.00**
33. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान													
33.01 समाज कल्याण-बाल कल्याण हेतु प्रावधान	2552	...	...	...	34.50	...	34.50	23.77	...	23.77	31.40	...	31.40
33.02 समाज कल्याण-महिला कल्याण हेतु	2552	...	...	...	17.40	...	17.40	11.98	...	11.98	15.20	...	15.20

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
प्रावधान													
33.03 पोषाहार हेतु प्रावधान	2552	...	...	...	2.30	...	2.30	0.07	...	0.07	2.50	...	2.50
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*54.20*	*...*	*54.20*	*35.82*	*...*	*35.82*	*49.10*	*...*	*49.10*
राज्य और संघ राज्य योजना													
34. समेकित बाल विकास सेवाएं	2552	...	...	...	1841.80	...	1841.80	1704.38	...	1704.38	890.00	...	890.00
	3601	...	...	...	16016.20	...	16016.20	14611.67	...	14611.67	7110.00	...	7110.00
	3602	...	...	...	250.00	...	250.00	203.94	...	203.94	245.77	...	245.77
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*18108.00*	*...*	*18108.00*	*16519.99*	*...*	*16519.99*	*8245.77*	*...*	*8245.77*
35. राष्ट्रीय पोषण मिशन	2552	...	...	...	30.00	...	30.00	...	...	...	9.60	...	9.60
	3601	...	...	...	172.40	...	172.40	...	...	...	195.19	...	195.19
	3602	...	...	...	0.60	...	0.60	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*203.00*	*...*	*203.00*	*...*	*...*	*...*	*204.79*	*...*	*204.79*
36. विश्व बैंक सहायता प्राप्त आईसीडीएस प्रणालियों की सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	38.21	...	38.21	167.00	...	167.00	76.30	...	76.30	77.00	...	77.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*38.21*	*...*	*38.21*	*167.00*	*...*	*167.00*	*76.30*	*...*	*76.30*	*77.00*	*...*	*77.00*
37. किशोरियों की अधिकारिता के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी)-सबला	2552	...	...	...	70.00	...	70.00	30.00	...	30.00	...	...	...
	3601	...	...	...	609.15	...	609.15	591.30	...	591.30	...	...	...
	3602	...	...	...	10.50	...	10.50	7.00	...	7.00	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*689.65*	*...*	*689.65*	*628.30*	*...*	*628.30*	*...*	*...*	*...*
38. किशोरों के समग्र विकास की स्कीम - सक्षम	2552	...	...	...	2.50	...	2.50	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	20.00	...	20.00	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	1.18	...	1.18	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*23.68*	*...*	*23.68*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
39. समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	2552	...	...	...	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
	3601	...	...	...	278.23	...	278.23	327.73	...	327.73	278.00	...	278.00
	3602	...	...	...	19.00	...	19.00	19.50	...	19.50	19.23	...	19.23
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*337.23*	*...*	*337.23*	*387.23*	*...*	*387.23*	*337.23*	*...*	*337.23*
40. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना(आईजीएमएसवाई)	2552	...	...	...	40.00	...	40.00	36.00	...	36.00	40.00	...	40.00
	3601	...	...	...	351.32	...	351.32	322.40	...	322.40	360.00	...	360.00
	3602	...	...	...	5.08	...	5.08	0.50	...	0.50	33.00	...	33.00

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	...	...	...	*396.40*	...	*396.40*	*358.90*	...	*358.90*	*433.00*	...	*433.00*
41. महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए स्कीम													
41.01 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	2552	...	...	...	9.00	...	9.00	0.80	...	0.80	...	...	...
	3601	...	...	...	30.00	...	30.00	1.75	...	1.75	...	...	...
	3602	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*40.00*	...	*40.00*	*2.55*	...	*2.55*	...	...	...
41.02 साहस (स्वाधार गृह)	2552	...	...	...	11.50	...	11.50	3.00	...	3.00	...	...	...
	3601	...	...	...	27.00	...	27.00	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	1.50	...	1.50	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*40.00*	...	*40.00*	*3.00*	...	*3.00*	...	...	...
41.03 साहस (बलात्कार पीड़िताओं हेतु पुनरुद्धारक न्याय)	2552	...	...	...	3.00	...	3.00	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	25.00	...	25.00	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	1.10	...	1.10	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*29.10*	...	*29.10*	...	...	...	...	...	...
41.04 साहस (घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं के संरक्षण कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता)	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	42.00	...	42.00	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	1.50	...	1.50	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*48.50*	...	*48.50*	...	...	...	...	...	...
41.05 साहस (महिला हेल्पलाइन)	2552	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	8.00	...	8.00	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	0.70	...	0.70	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*9.70*	...	*9.70*	...	...	...	...	...	...
41.06 साहस (एक स्थान पर संकट समाधान केंद्र)	2552	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...
	3601	...	...	...	16.00	...	16.00	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	0.80	...	0.80	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*18.80*	...	*18.80*	...	...	...	...	...	...
जोड़- महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए स्कीम		...	...	...	*186.10*	...	*186.10*	*5.55*	...	*5.55*	...	...	...
जोड़-राज्य और संघ राज्य योजना		**38.21**	**...**	**38.21**	**20111.06**	**...**	**20111.06**	**17976.27**	**...**	**17976.27**	**9297.79**	**...**	**9297.79**
42. वास्तविक वसूलियां	2235	-0.77	...	-0.77	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2236	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	2251	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	-0.49	...	-0.49	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-1.27*	*-0.01*	*-1.28*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***17949.85***	***87.46***	***18037.31***	***21100.00***	***93.88***	***21193.88***	***18500.00***	***88.39***	***18588.39***	***10286.73***	***95.67***	***10382.40***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	0.24	...	0.24	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
2. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	17824.20	...	17824.20	912.04	...	912.04	456.08	...	456.08	914.34	...	914.34
3. पोषण	22236	87.20	...	87.20	20.70	...	20.70	9.33	...	9.33	22.50	...	22.50
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	54.20	...	54.20	35.82	...	35.82	49.10	...	49.10
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**17911.64**	**...**	**17911.64**	**988.94**	**...**	**988.94**	**503.23**	**...**	**503.23**	**988.94**	**...**	**988.94**
राज्य योजना:													
1. बाल विकास	43601	38.21	...	38.21	19247.28	...	19247.28	17399.88	...	17399.88	8599.79	...	8599.79
2. महिला विकास	43601	...	...	...	570.82	...	570.82	363.95	...	363.95	400.00	...	400.00
जोड़ - राज्य योजना		**38.21**	**...**	**38.21**	**19818.10**	**...**	**19818.10**	**17763.83**	**...**	**17763.83**	**8999.79**	**...**	**8999.79**
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. बाल विकास	43602	...	...	...	262.28	...	262.28	212.94	...	212.94	245.77	...	245.77
2. महिला विकास	43602	...	...	...	30.68	...	30.68	20.00	...	20.00	52.23	...	52.23
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		**...**	**...**	**...**	**292.96**	**...**	**292.96**	**232.94**	**...**	**232.94**	**298.00**	**...**	**298.00**
जोड़		**17949.85**	**...**	**17949.85**	**21100.00**	**...**	**21100.00**	**18500.00**	**...**	**18500.00**	**10286.73**	**...**	**10286.73**

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर खर्च हेतु है। इसमें मंत्रालय में ई-शासन कार्यकलापों के सुदृढीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता पर व्यय भी शामिल है।

2.01 & 34. **समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.):** इसके अंतर्गत प्रावधान छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षणिक सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान करने के लिए है। इस पैकेज में पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को सर्वसुलभ बनाने के लिए सरकार ने 7076 परियोजनाएं और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं, जिनमें मांग पर 20 हजार आंगनवाड़ियां शामिल हैं।

3. **यूनीसेफ को अंशदान:** यह प्रावधान यूनीसेफ को भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय के लिए है।

4. **राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड):** इसका उद्देश्य बच्चों के सामाजिक विकास, बाल विकास के व्यापक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनार्थ कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक कार्रवाई का विकास और

प्रोन्नति करना है । यह संस्थान अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों को आयोजित करता है, जन-सहयोग तथा बाल विकास के क्षेत्र में सूचना सेवाएं प्रदान करता है तथा गुवाहाटी, बेंगलूर, इंदौर और लखनऊ स्थित अपने चार क्षेत्रीय केन्द्रों सहित नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परामर्श सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है । यह संस्थान आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं तथा आईसीपीएस तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं हेतु एक अग्रणी प्रशिक्षण अभिकरण के रूप में उभर कर आया है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में मोहाली और बिहार में पटना में इस संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है।

5. **कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम:** स्कीम का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जिनकी पारिवारिक आय 12,000/-रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है, के 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सेवाएं प्रदान करना है । इस स्कीम के अंतर्गत चलाए जाने वाले शिशु गृह बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच एवं प्रतिरक्षण आदि सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। 2014-15 के दौरान 125 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 12.50 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

6. **देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना तथा कामकाजी बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल एवं पोषण के अलावा स्व-रोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना भी है । स्कीम का हाल ही में मूल्यांकन किया गया है तथा इसे आई.सी.पी.एस. के अंदर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा राशि देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015-16 के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों के लिए किया गया है.

7. **केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण:** केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण - (सीएआरए) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है । कारा देश के विभिन्न भागों में पक्षकारों हेतु प्रोत्साहक एवं क्षमता निर्माण कार्यकलापों का संचालन करते बालकों के दत्तक ग्रहण को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देश, 2011 का क्रियान्वयन कर रहा है।

8 & 39. **समेकित बाल संरक्षण स्कीम:** मंत्रालय ने केन्द्रीय प्रायोजित इस स्कीम का प्रारंभ देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा असुरक्षित वर्गों के अन्य बच्चों के व्यापक विकास हेतु एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए किया है। यह स्कीम वर्ष 2009-10 से मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से वित्तीय लागत में भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है । कार्यक्रम घटकों में आश्रय गृह, बाल गृह, प्रेक्षण गृह विशेष गृह जैसी संस्थागत सेवाएं; केंद्रीय, राज्य और जिला

स्तरों पर समर्पित सेवा प्रदायगी संरचनाएं; प्रायोजन, देखभाल, दत्तक ग्रहण, देखभाल उपरांत कार्यक्रम के माध्यम से परिवार आधारित संस्थागत देखभाल; चाइल्डलाइन

तथा बालक खोज प्रणाली के माध्यम से आपात सेवाएं शामिल हैं। समेकित बाल संरक्षण स्कीम में मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, अर्थात (1)

किशोर न्याय कार्यक्रम, (2) बेसहारा बच्चों के लिए एक समेकित कार्यक्रम और (3) एक ही केन्द्र से देश के भीतर

दत्तक ग्रहण प्रोत्साहित करने और नए उपाय करने हेतु गृहों

(शिशु गृहों) को सहायता स्कीम । वर्ष 2015-16 के दौरान

402.23 करोड़ रूपए की बजटीय व्ययवस्था की गई है।

जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपये शामिल हैं।

10.01 & 37. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम:** इस स्कीम को वर्ष 2010 में शुरू किया गया, इसका क्रियान्वयन प्रायोगिक आधार पर देश भर के 200 जिलों में किया जा रहा है । यह स्कीम 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, इसे सबला के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कीम समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मंच का उपयोग करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के पोषण और गैर पोषण दो मुख्य घटक हैं। 11-14 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं तथा 14-18 वर्ष की सभी बालिकाओं (स्कूल जाने

वाली और स्कूल छोड़ चुकी) हेतु घर ले जाने वाले राशन के रूप में पोषाहार दिया जाता है । गैर पोषण घटक में 11-18 वर्ष की स्कूहल छोड़ चुकी किशोरियों को आई.एफ.ए. अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा परिवार कल्याण, बच्चों और घर की देखरेख के संबंध में परामर्श/मार्गदर्शन, किशोर जनन लिंग स्वास्थ्य (एआरएसएच) देखभाल परिपाठिया जीवन कौशल शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 10 करोड़ केन्द्रीय योजना के लिए रखा गया है । राज्यों/केन्द्र शासति प्रदेशों को निर्भया फंड से पैसा दिया जाएगा ।

14. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम:** यह बालिकाओं के कल्याण हेतु शुरू की गई एक नई स्कीम है। सरकार की हाल ही में शुरु की गई बेटी बचाओ बेटी पढाओ पहल का उद्देश्य देश में जन प्रचार के माध्यमों और कम बाल लिंग अनुपात वाले 100 चयनित जिलों में संकेंद्रित उपायों और बहु क्षेत्रीय कार्रवाई के माध्यम से घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे का समाधान करना है ।बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य बालिका का जन्मोत्सव मनाना और उसे उसकी शिक्षा का अधिकार देना है। स्कीम के विशिष्ट उद्देश्य (i) लिंग अभिनत चयनित गर्भ के समापन की रोकथाम (ii) उत्तरजीविता सुनिश्चित करना (iii) बालिकाओं का संरक्षण (iv) बालिका की शिक्षा और उसकी भागीदारी सुनिश्चत करना है । बीबीबीपी कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। जिला कलैक्टर/उपायुक्त कार्यान्वियन हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी होता है।

15. **अन्य स्कीमें (बाल कल्याण):**

17. **कामकाजी महिला होस्टल:** इस स्कीम में कामकाजी महिलाओं तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरान्त व्यावसायिक पाठयक्रमों में अध्ययन कर रही छात्राओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है । यह स्कीम महिला/समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य

अभिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, महिला विकास निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है ।

18. **प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप):** इस स्कीम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे परम्परागत क्षेत्रों अथवा स्थानीय रूप से व्यवहार्य किसी अन्य क्षेत्र में महिलाओं के कौशलों में सुधार लाकर इन क्षेत्रों में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा उनकी आयोत्पादक क्षमताओं में वृद्धि करना है । स्थानीय रूप से उपयुक्त क्षेत्रों के आरंभ से स्कीम का क्षेत्र और विस्तार बढ़ाया गया है।

19. **केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड:** देश में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1953 में की गई । कई वर्षों से, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं । इस समय चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम, जागरुकता विकास कार्यक्रम, शिशुगृह स्कीम, परिवार परामर्श केन्द्र तथा अल्पावास गृह शामिल हैं । इन स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य समाज कल्याण बोर्डों के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है ।

22. **राष्ट्रीय महिला आयोग:** राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अध्यधीन एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। इसे महिलाओं का संरक्षण करने के लिए संविधान तथा कानूनों के तहत, मामलों की जांच एवं अन्वेषण करने का अधिदेश प्राप्त है। यह शिकायतों की जांच करता और है महिला अधिकारों से वंचित करने संबंधी मामलों का स्व प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

24. **देह-व्यापार को रोकने की व्यापक स्कीम (उज्ज्वला):** यह स्कीम, 2007 में शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य अवैध देह व्यापार का निवारण और अवैध व्यापार पीड़ित महिलाओं के बचाव, पुनर्वास व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार पीड़ितों को मुख्य धारा से पुन: जोड़ने और उनकी स्वदेश वापसी हेतु सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है।

25. **प्रियदर्शिनी स्कीम:** इस योजना को बंद कर दिया गया है।

26. **महिलोन्मुख बजट आयोजना एवं लैंगिंक आंकड़े:** इस स्कीम में कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों, राज्य सरकारों के विभागों तथा राज्य महिला आयोगों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थाओं आदि को महिलोन्मुख बजट आयोजना की अवधारणा, कार्यनीतियों एवं उपायों की जानकारी देने तथा विभिन्न पक्षें द्वारा महिलोन्मुख बजट आयोजना के अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षण नियमावलियां तैयार करने का प्रावधान भी है। इस स्कीम में मंत्रालय में महिलोन्मुख बजट आयोजना ब्यूरो गठित करने का प्रावधन है।

27.01 & 40. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना:** वर्ष 2010-11 में शुरू की गई यह नई केंद्रीय प्रायोजित स्की्म है जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भधारण के 6 महीने के अंत से लेकर प्रसति के बाद 6 महीने तक सीधे नकद राशि प्रदान करने की पारिकल्पुना की गई है। माता तथा बालक के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित विशिष्ट शर्तें पूरी करने पर गर्भवती तथा स्तलनपान कराने वाली महिलाओं को 6000 रुपए दिए जाएंगे । इस स्कीम का अल्पकालिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और दीर्घकालिक उद्देश्य उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। शुरुआत में यह स्कीम प्रायोगिक आधार पर देश के 53 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का प्रयास बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हुई मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है । इस स्कीम में वर्ष 2015-16 के लिए 438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

27.02.01. **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन:** इस योजना का उद्देश्य नीतियों तथा जेन्डर सशक्तीकरण की योजनाओं के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न कार्यकलापों में समरूपता लाने का है ।

27.02.02 &41.02. **स्वाधार गृह:** कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रही महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत को महसूस करते हुए, स्वाधार स्कीम वर्ष 2001-02 में शुरू की गई। स्कीम का उद्देश्य विधवाओं, देह-व्यापार की पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा निराश्रित महिलाओं का व्यापक पुनर्वास करना है। स्कीम में महिलाओं के लिए भोजन एवं आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सुविधाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्वाधार गृह एवं अल्पावास गृह को इकट्ठा करके एक नई योजना स्वाधार गृह के अंतर्गत लाया गया है।

27.02.05. **महिला हैल्पलाईन:** इस बात को मानते हुए कि विपत्ति एवं कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को शीघ्र पहुंच की आवश्यतकता होती है तथा उन्हें ऐसी समर्थन सेवाओं की उपलब्धता के बारे सूचना की जानकारी नहीं होती है अथवा वे इनका सहारा नहीं ले पाती है, सर्वसुलभ महिला हैल्पलाईन के सृजन के लिए कार्य करने का प्रस्ताव है ।

12वीं योजना में 24 घंटे कार्य करने वाली महिला हैल्पलाईन,अधिमानत: अखिल भारत स्तर पर एक टोल फ्री नम्बर के साथ तथा सामाजिक-कानूनी सहायता प्रणाली युक्त कारगर कार्यालय के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां पर घरेलू हिंसा, बलात्कार एवं महिलाओं के विरुद्ध अन्य अत्याचारों के पीड़ितों को केवल एक फोन पर सहायता उपलब्ध होगी ।

27.02.06. **संकट निवारण एकल केंद्र:** हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए महिलाओं को अपनी बहुत सी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सहायता की आवश्यकता होती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय महिलाओं हेतु 'संकट निवारण एकल केंद्र' को प्रायोगिक आधार पर विकसित करने की संभावना की जांच करेगा जो समेकित सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा जहां हिंसा की पीड़ितों को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, पुलिस मामला दर्ज करने में सहायता, प्ररामर्श एवं भावनात्मक समर्थन पीडिता एवं उसके बच्चों के लिए अस्थायी आश्रय तथा ठहरने की अवधि हेतु बुनियादी आवश्यचकताओं जैसी विभिन्नं जरूरतों को एक ही जगह पर पूरा किया जाएगा । बलात्कार एवं यौन प्रहार के पीड़ित भी इन केन्द्रों से लाभ ले पाएंगें, जहां पर उन्हें चोट एवं आघात से निपटने के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी और प्रेरक एवं संवेदनपूर्ण वातावरण में उनका बयान लिया जा सकेगा । इन केन्द्रों की स्थापना 2.5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किए जाने का प्रस्तारव है ।

28. **महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति:** भारत सरकार ने महिलाओं की वर्ष 1989 से अभी तक की स्थिति को जानने के साथ-साथ महिलाओं की जरूरतों के समकालीन मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त नीतिगत उपाय विकसित करने

के लिए महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है । उच्च स्तरीय समिति भारत में महिलाओं की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगी । रिपोर्ट में महिलाओं पर प्रभाव के मामले में इन पहलुओं के अंतर-संबंध का उल्लेख होगा और महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु उपायों की सिफारिश भी की जाएगी ।

35 & 2.03. **राष्ट्रीय पोषण मिशन:** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसके बाद 2008 में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के संबंध में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था। समिति में ये निर्णय लिए गए थे (i) आईसीडीएस योजना का सुदृढ़ीकरण और पुनर्संरचना, (ii) सबसे अधिक समस्याग्रस्त चुनिंदा 200 जिलों में मातृत्व तथा बालकों के कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए बहुक्षेत्रक कार्यक्रम की शुरूआत, (iii) कुपोषण के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरूआत

और (iv) संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों तथा स्कीमों में पोषण पर संकेद्रण करना।यह योजना आई.सी.डी.एस. में शामिल कर दी गई है।

36 & 2.02. **विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रणाली सुदृणीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना:** इसके अंतर्गत ऐसे चुनिंदा जिलों में, जहां बाल कुपोषण का स्तर बहुत ऊंचा है, आवश्यक तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता के माध्यम से प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और सेवा प्रदायगी में सुधार करने पर बल दिया जाएगा । इस परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी कार्यकलाप आई.सी.डी.एस.(सामान्य) के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों के अतिरिक्त होंगे । 2015-16 में परियोजना हेतु 113.00 करोड़ रुपये के प्रावधान में 79.10 करोड़ रुपये का बाह्य सहायता घटक भी शामिल है ।